राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, अपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी, जयपुर–302015
फोन : 0141–2973804, 2988946 **Website:** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांक:– रा.पै.मेडि.कौं/काउ.(सत्र 2019–20)/2019/2902

दिनांक : 05-12-19

–::सार्वजनिक सूचना::–

विषय : प्रशिक्षण सत्र 2019–20 में विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में नियमित रूप से अनुपस्थित अभ्यर्थियों के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा प्रशिक्षण सत्र 2019–20 में विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में तीन चरणों की काउन्सलिंग के माध्यम से महाविद्यालयों/संस्थानों में अभ्यर्थी आवंटन किये गये है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक 2425 दिनांक 24.09.2019 के द्वारा सत्र 2019–20 की सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षाऐं दिनांक 03.10.2019 से नियमित पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा जारी एकेडमिक कलेण्डर के आधार पर प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया था, की पालना में संबंधित महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा जारी एकेडमिक कलेण्डर के आधार पर नियमित कक्षाऐं संचालित की जा रही है।

परन्तु कुछ महाविद्यालयों द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि कुछ अभ्यर्थी उपस्थिति (Reporting) देने/करने के पश्चात् संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को किसी प्रकार की कोई सूचना दिये बिना अनुपस्थित चल रहे है, जिससे महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा इन संबंधित अभ्यर्थियों का प्रवेश निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

ऐसे समस्त प्रकरणों के संबंध में संबंधित महाविद्यालय/संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई अभ्यर्थी सूचना दिये बिना अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के स्थाई निवास पर तीन बार इस आशय का नोटिस सात दिवस के अन्तराल में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से जारी करें, कि वें बिना सूचना के अनुपस्थित चल रहे है और ऐसी स्थिति में तुरन्त संस्थान में उपस्थित नहीं होने पर उनका प्रवेश रद्द किया जा सकता है। यदि फिर भी अभ्यर्थी संस्थान में उपस्थित नहीं होता है या उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई संतोषजनक प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे समस्त प्रकरणों में संबंधित महाविद्यालय/संस्थान अपने स्तर पर कार्यवाही करते हुए, कृत कार्यवाही से पैरामेडिकल कौंसिल को सूचित करावें।

5/12/19
रजिस्ट्रार
दिनांक:–05-12-19

क्रमांक:– रा.पै.मेडि.कौं/काउ. (सत्र 2019–20)/2019/2902
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:–

1. अध्यक्ष, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
2. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य, सम्बद्ध समस्त पैरामेडिकल महाविद्यालय/संस्थान को सूचनार्थ।
4. पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को सूचनार्थ।
5. सर्वर प्रभारी, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

5/12/19
रजिस्ट्रार